

राजस्थान सरकार  
वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

क्रमांक: एफ. 4(4)वित्त/एसपीएफसी/2015

दिनांक: 18.04.2017

..... (विभागाध्यक्ष)

विषय:- आपके विभाग के नोडल अधिकारी (एसपीपीपी) द्वारा अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं (Procuring Entities) द्वारा जारी बिड सम्बन्धी दस्तावेजों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किए जाने वाले छमाही प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- वित्त (एसपीएफसी) विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(8)एफडी/जीएण्डटी/2014 दिनांक 24.07.2014 (परिपत्र संख्या 1/2014) तथा ईमेल दिनांक 24.01.2017, 08.02.2017 एवं 09.03.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु मनोनीत नोडल अधिकारियों के कार्यों/उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए यह निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार 15 अप्रैल एवं 15 अक्टूबर को निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना अनिवार्य है जिसमें उनके अन्तर्गत उपापन संस्थाओं द्वारा किए गए समस्त उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानुसार किये गये हैं, इसे सत्यापन किया जाना है। इस संदर्भ में समस्त नोडल अधिकारियों को संदर्भित दिनांकों को ईमेल द्वारा भी उक्त प्रमाण-पत्र शीघ्र वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु लिखा गया, किन्तु खेद का विषय है कि अभी भी अधिकांश नोडल अधिकारियों द्वारा आदिनांक भी उक्त विषयक प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किए गए हैं। इस विषय को वित्त विभाग में अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि आपके विभाग में राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु मनोनीत नोडल अधिकारी को पाबन्द करने का श्रम करें कि वे अब 7 दिवस में निर्धारित प्रपत्र में उनके अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा किए गए समस्त उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानुसार किये जाने का प्रमाण-पत्र स्केन कर ईमेल (cao.spfc@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया इसमें अब भी कोताही बरतने वाले नोडल अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराई जाने की भी व्यवस्था करावें।

भवदीय

  
(रामावतार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

  
(रामावतार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव,